ISSN: 0973-0583

पलामू डाक लूटकांड (1929-30): स्वतंत्रता आंदोलन का क्रांतिकारी अध्याय

शत्रुध्न कुमार पाण्डेय

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, संत कोलम्बा कॉलेज, हजारीबाग

सारांश

प्रस्तुत शोध आलेख में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा पलामू जिले में डाक लूट की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। क्रांतिकारी ऐक्शन के लिए धन की जरूरत को पूरा करने के लिए 1929-30 के दौरान पलामू में डाक लूट की कई घटनाएँ घटी थीं, जिनका संबंध हिन्दुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियशन के क्रांतिकारियों से था। काकोरी ट्रेन लूट कांड के अभियोग में जब अखिल भारतीय स्तर के क्रांतिकारियों की पीढ़ी ब्रिटिश क्रूरता की शिकार हुई, तब इस संघ के दूसरी पीढ़ी के क्रांतिकारियों ने क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बना कर और कार्य जारी रखा। पलामू के डाक लूट कांड भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के अखिल भारतीय क्रांतिकारी योजना का ही एक पड़ाव था। इस आलेख में डाक लूट को लेकर प्रशासनिक रिपोर्ट एवं पुलिस कार्रवाई पर भी प्रकाश डाला गया है। पलामू डाक लूट कांड का पता पुलिस को गया के क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद चला।

विशिष्ट शब्दः गया नौजवान संघ, क्रांतिकारी, डाक-लूट, गवर्नर, रिवल्वर, शड्यंत्र

विषय-प्रवेश

पलामू : भौगोलिक स्थिति

पलामू प्रमंडल झारखंड के उत्तर-पश्चिम में स्थित $23^0 20'$ से $24^0 39'$ उत्तरी अक्षांश तथा $83^0 22'$ से $85^0 00'$ पूर्वी देशांतर के बीच 4916 वर्ग मील में फैला हुआ है।[1] उत्तर से दक्षिण इसकी लम्बाई 119 मील है और पश्चिम से पूरब इसकी चौड़ाई 101 मील है।[2] इस क्षेत्रफल में सम्प्रति मेदिनीनगर, गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा शहर डाल्टेनगंज है, जो उत्तरी कोयल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है और इसे 1861 में छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त डाल्टन ने बसाया था।[3] डाल्टनगंज से पूर्व पलामू का प्रशासनिक मुख्यालय लेस्लीगंज (घोरासी) था, जहाँ ब्रिटिश छावनी (1771-186) थी। 1892 से पूर्व पलामू लोहरदगा जिला का भाग था। एक जनवरी 1892 को पलामू पृथक जिला बना और इसे छोटानागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत रखा गया। यहाँ के प्रथम उपायुक्त डब्ल्यू0 आर0 ब्राइट थे।[4] पलामू मिश्रित संस्कृति की धरती रहा है और यहाँ की अधिकांश आबादी भोजपुरी और मगही बोलती है।[5] पुराणों में इस क्षेत्र को वाराणसी-खंड एवं मगध-खंड का हिस्सा माना गया है। इसकी पश्चिमी सीमा संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) और मध्य-प्रांत (मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़) से तथा उत्तरी सीमा बिहार से लगती है।[6]

1.2 गुप्त शिविर और हथियार संचालन का प्रशिक्षण

20वीं सदी के तीसरे दशक तक पलामू में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी अपना जड़ जमा चुके थे। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी नेता प्रमोथोनाथ मुखर्जी, गणेश प्रसाद वर्मा, गणेश कमलापुरी, शिवशंकर प्रसाद आदि थे।[7] पलामू बंगाल और संयुक्त प्रांत के क्रांतिकारियों के छुपने एवं योजना बनाने के लिए मुफीद स्थान था। जब भी बंगाल एवं संयुक्त प्रांत में पुलिस की कार्रवाई या छापेमारी होती थी, क्रांतिकारी आश्रय के लिए पलामू आ जाते थे।[8] अध्ययन के लिए पलामू के युवा पटना, वाराणसी एवं कलकत्ता (अब कोलकाता) जाते थे और वहाँ क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ जाते थे। प्रशासनिक दृष्टि से पलामू बंगाल और बिहार का अंग रहा है और कई बंगाली एवं बिहारी यहाँ नौकरी या वकालत या रोजगार-व्यवसाय के लिए आया-जाया करते थे। इसी क्रम में पलामू के युवा क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े और अपनी सक्रियता दिखायी। पलामू पर बंगाल के

अनुशीलन समिति और संयुक्त प्रांत के हिन्दुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन दोनों का प्रभाव रहा। अत्यंत सहजता से यहाँ के नौजवान दोनों संगठनों से जुड़े और कई क्रांतिकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया।[9] इस योजना में गया नौजवान सभा के क्रांतिकारियों बसावन सिंह, श्याम बर्थवार, शत्रुधन शरण सिंह, केशव प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद आदि की भी सक्रियता रही। क्रांतिकारी पुलिस की आंखों से बच कर छात्रों से मिलते थे और उन्हें ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित करते थे। पलामू जिले के आदिवासी क्षेत्रों–गारू, भंडरिया, रंका, पोखराहा, चांदी, मनिका, रामगढ़, बरवाडीह, लातेहार आदि– के गांव उनके कार्यकलाप के मुख्य केन्द्र थे।[10] गारू, भंडरिया, रंका, चैनपुर, मनिका और बरवाडीह में कई गुप्त शिविर का आयोजन किया जाता था और युवाओं को पारंपरिक हथियार और रिवाल्वर चलाने, हथगोला बनाने तथा सरकारी खजाना एवं शस्त्रगार लूटने के प्रशिक्षण दिये जाते थे।[11] 1929–30 में पलामू क्रांतिकारी ऐक्शन का 'हॉट बेड' था।

1.3 अशफाक उल्ला खां और उसके बाद

काकोरी ट्रेन लूटकांड के बाद अशफाक उल्ला खां (1892–1927) छद्म नाम से डाल्टेनगंज में करीब 10 माह तक रहे थे। बनारस से अशफाकउल्ला खां (संभवत: 1926 के प्रारंभ में) डाल्टेनगंज पहुंचे थे।[12] वह कुण्ड मोहल्ला में रहते थे।[13] क्रांतिकारी संगठन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य अशफाक की डाल्टेनगंज में उपस्थिति पलामू के क्रांतिकारी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। अशफाक क्रांतिकारियों के उत्प्रेरक थे। इनकी प्रेरणा से पलामू की नसों में क्रांतिकारी लहू तेजी से दौड़ी और उनके जाने के बाद (अगस्त 1926) पलामू में कई क्रांतिकारी ऐक्शन हुए। डाल्टेनगंज सदर, गढ़वा और सलतुआ डाकघर लूटे गये और प्राप्त धान का उपयोग पिस्तौल एवं आवश्यक वस्तुओं की खरीद में हुई, ताकि क्रांतिकारी कार्य को सुगमता से चलाया जा सके।[14]

1.4. पलामू डाक लूटकांड : 1929–30

1929–30 में पलामू जिले में डाक लूट की कई घटनाओं को क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया। 27 मई 1929 को हुई। डाल्टनगंज सदर डाक लूट की योजना काशी में बनी थी। इस योजना के मुख्य शिल्पी गणेश प्रसाद वर्मा, स्वामी सत्यानंद और पुरुषोत्तम दूबे पलामू जिले के ही रहने वाले थे। गया के श्याम बर्थवार, जो बनारस में पढ़ते थे, की भी इसमें सहभागिता थी। लूट की राशि में से 500 रुपये एक रिवाल्वर एवं कुछ गोलियां कलकत्ता से काशी लाने वाले को दिया जाना था। बनारस से सभी डाल्टेनगंज के लिए रवाना हुए। डाल्टेनगंज शहर का नक्शा गणेश प्रसाद वर्मा ने उपलब्ध कराया। योजना की रूपरेखा और कार्यों का विभाजन डाल्टेनगंज के वकील नागेश्वर प्रसाद के यहाँ बनायी गयी थी।[15]

जिस दिन लूट की योजना बनायी गयी थी, डाल्टेनगंज में अनाथ के बच्चों के चैरिटी कार्यक्रम की वजह से पुलिस व्यस्त थी तथा पोस्ट ऑफिस और उपायुक्त के बंगले के बीच का रास्ता सुनसान था। पोस्ट ऑफिस और उपायुक्त के बंगले के आस–पास कोई आबादी नहीं थी। सड़क के बगल में परसवन (पलाश के वृक्षों का सघन वन) था, जो छुपने की दृष्टि से काफी मुफीद था। परसवन को छुपने के लिए क्रांतिकारियों ने चुना था। उनकी योजना यह थी कि डाकघर की थैली का पीछा पुरुषोत्तम दूबे करेंगे, परसवन के निकट स्वामी सत्यानंद रहेंगे तथा उपायुक्त बंगले के फाटक की चौकसी श्याम बर्थवार करेंगे।[16]

27 मई 1929 की शाम के 7:30 बजे, डाक परिचारी लालचंद पोस्ट ऑफिस की ओर से थैले भरा ठेला लेकर आ रहा था। जैसे ही ठेला डिप्टी कमिश्नर के बंगला से गुजरा, स्वामी सत्यानंद ने डाक परिचारी के सिर पर प्रहार कर दिया और वह लुढ़क कर गिर गया। इसके बाद श्याम बर्थवार ने डाक सेवक शिवनंदन राम पर रिवाल्वर तान दी और वह भय से बेहोश होकर गिर पड़ा। डाक की राशि लूट कर स्वामी सत्यानंद एवं पुरुषोत्तम दूबे परसवन की ओर ओझल हो गये। वहाँ से सभी शाहपुर जंगल में एकत्र हुए और सभी थैलियों को खोला गया। लूट में करीब 2,000 रुपये क्रांतिकारियों के हाथ लगे।[17] इसे लेकर श्याम बर्थवार स्टेशन की ओर लपके और नागेश्वर बाबू के घर पहुँचे। इसके बाद डाल्टेनगंज स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर काशी निकल गये।[18]

डाल्टनगंज शहर में डाक लूट की यह पहली घटना उपायुक्त के बंगले के निकट घटी थी और अत्यंत संवेदनशील थी। उपायुक्त के बंगले पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था, परन्तु किसी का ध्यान घटना पर नहीं गया। घटना की

सूचना डाल्टनगंज के उपायुक्त एस0 एस0 व्हास ने बिहार-उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी को 27 मई 1929 को टेलीग्राम से दी ("Mail Bags Robbed last night at about 8.00 pm at Daltonganj town near on way to Railway Station. Mail partly recovered. Does not appear political. Report will follow."[19] अलगे दिन उपायुक्त ने छोटानागपुर के कमीश्नर जे0 ए0 हबैक और बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव को घटना का विस्तृत विवरण भेजते[20] हुए लिखा कि आई पी सी की धारा 395 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। डाल्टनगंज और शाहपुर के आपराधिक प्रवृत्ति के डोम और अन्य बदमाशों एवं जुआरियों की संलिप्तता इस घटना में प्रतीत होती है।[21]

उपायुक्त एस0 एस0 ह्वास ने आयुक्त जे0 ए0 हबैक को लिखा कि 27 मई 1929 की शाम को 8:30 बजे डाक सेवक शिवनंदन राम और डाक परिचारी लालचंद सदर सब इंस्पेक्टर के कार्यालय गये और उन्होंने रिपोर्ट लिखवाया कि वे शाम 7:30 बजे डाक-थैले लदे ठेला को लेकर डाल्टनगंज पोस्ट ऑफिस से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। डिप्टी कमीश्नर के बंगले के निकट स्थित सर्किट हाउस के समीप बगल के परसवन से करीब 20 लोग निकले और उन्होंने हमला कर दिया और ठेले पर रखे आठ थैलियों को लूट कर पारस जंगल की ओर भाग गये। घना अंधेरा होने के कारण उनके चेहरे को नहीं देख पाया। हमलावर बनियान और कुर्ता पहने हुए थे और अपनी धोतियों से उन्होंने मुंह ढंका हुआ था।[22]

उपायुक्त ने लिखा कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह और पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुँचे और जानकारी प्राप्त की। इसके बाद पारस जंगल और पूरे शहर में सर्च अभियान चलाया गया। परन्तु हमलावर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। डाक परिचारी शिवनंदन को पीठ और अंगुलियों में चोट लगी है जो गंभीर नहीं है, लेकिन लालचंद के सिर पर गहरी चोट है और उसके सिर से लगातार खून बह रहा है।[23] 28 मई की सुबह शाहपुर जंगल, जो घटना स्थल से एक मील दूर है, में डाक के लूटे गये थैले फेंके हुए मिले। उन थैलों में पत्र, रजिस्टर्ड लिफाफे और पार्सल थे। तीन खाली थैलों को छोड़ कर बाकी थैले काट दिये गये थे और उनमें रखे तमाम पत्र, रजिस्टर्ड लिफाफे और पार्सल जमीन में यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे। सभी रजिस्टर्ड और बीमाकृत लिफाफों के अंदर से तमाम सामग्रियां और कैश निकाल लिये गये थे। डाक विभाग के अधिकारियों के आकलन के अनुसार डकैतों ने इस घटना में 2000 रुपयों की लूट की है और आवश्यक नोट्स भी ले गये हैं।[24] घटना के समय शहर में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित दिल्ली के अनाथालय के अनाथ बच्चों द्वारा चैरिटी कार्यक्रम चल रहा था। इसकी वजह से घटनास्थल पर सन्नाटा था, जिसका लाभ उठा कर लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी तक की जांच में अभियुक्तों के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। इस तरह के कोई साक्ष्य भी अब तक नहीं मिले हैं, जिससे माना जाए कि इस लूट की प्रकृति राजनीतिक है। ऐसा संदेह है कि डाल्टनगंज और शाहपुर में रहने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के डोम और अन्य बदमाशों एवं जुआरियों की संलिप्तता इस घटना में है। अपराधियों की पहचान के लिए शहर और आसपास के इलाकों में सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है।[25]

पलामू क्रांतिकारियों के 'ऐक्शन' के लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। इस कारण 1930 में पलामू, गया और बनारस के क्रांतिकारियों ने पलामू में कई डाक लूटे। 10 मई 1930 को पांच क्रांतिकारियों ने डाल्टनगंज डाकघर के मेल डाकिये से राशि लूट ली। इसके शिल्पकार श्याम बर्थुआर एवं प्रमोथोनाथ मुखर्जी थे।[26]

दूसरी लूट 31 जुलाई 1930 को हुई, जब डाल्टनगंज डाकघर से 200 रुपये लूट लिया गया।[27] बिहार-उड़ीसा के गवर्नर लैंसडाउन स्टीवेंसन की हत्या के लिए शस्त्र खरीदने के लिए इस लूट को अंजाम दिया गया था। लैंसडाउन स्टीवेंसन 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1930 को नेतरहाट में ठहरने वाले थे। 1930 में भंडरिया और सतलुआ और गढ़वा के डाक क्रांतिकारियों ने लूटे।[28] एक अगस्त 1930 को भी डाल्टनगंज में डाक लूट की घटना घटी थी।[29] बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव को बिहार के गोपनीय शाखा के पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना ने बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव को लिखा कि बनारस से गिरफ्तार शिवचरण राय द्वारा पहने हुए काले कपड़े का उपयोग डाल्टनगंज डाक लूट के लिए किया गया था और यह कपड़ा उसे गया निवासी श्याम बर्थुआर ने बनारस में दिया था। गया शड्यंत्र के सरकारी दस्तावेज से इस बात का पता

चलता है। इससे यह साबित होता है कि पलामू के क्रांतिकारियों का संबंध बनारस के क्रांतिकारियों से है। एक-दूसरे के सहयोग से रणनीति बना कर उन्होंने डाक लूट को अंजाम दिया था।[30]

दरअसल सभी लूटकांड हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की विचारधारा से प्रभावित थे, जिसमें चन्द्रशेखर आजाद ने कहा था कि ''इस संगठन में 'समाजवादी'शब्द जोड़ने का आशय ही है कि अंग्रेज जो हमें आतंकवादी प्रचारित कर रहे हैं, जनता उनकी झांसे में न आये और हमें क्रांतिकारी समझे। गुप्त क्रांतिकारी संगठन के लिए धन एकत्र करना अत्यंत कठिन कार्य है। यह कार्य विदेशों से चंदा प्राप्त कर न किया जाये, क्योंकि इससे देश की गरीबी एवं दुर्बलता प्रदर्शित होगी। यह कार्य अंग्रेजी हुकूमत को लूट कर किया जाये, जिसने भारतीयों के धन को निर्ममतापूर्वक लूटा है। अत: इसके लिए देश के भीतर डकैतियों का सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए विस्फोटक पदार्थ एवं आवश्यक शास्त्र संग्रहित किया जाये।''[31] देश में नये धमाकों की गूंज होनी चाहिए और ब्रिटिश शासकों का शासन डोलना चाहिए।[32]।

पलामू में डाकघरों की डाक लूट की घटना ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। यह बताता है कि कि बनारस और गया की क्रांतिकारी गतिवधियों के तार पलामू से जुड़े हुए थे। सर्च अभियान चला कर भी पुलिस यह पता नहीं कर पायी कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है या इसे किसने अंजाम दिया है? पुलिस का शक शाहपुर के डोम, जुआरियों एवं अपराधियों पर था, जबकि इस घटना को हिन्दुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने दिया था।

निष्कर्ष :

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पलामू क्रांतिकारी योजना का कार्य-स्थल रहा है। संयुक्त प्रांत, बिहार और बंगाल के क्रांतिकारी पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पलामू को आश्रय स्थल बनाते थे। अशफाक उल्ला खां, प्रमोथोनाथ बनर्जी जैसे क्रांतिकारी न केवल यहाँ गुप्त रूप से रहे, बल्कि पलामू के युवाओं को क्रांतिकारी कार्यों का प्रशिक्षण भी उन्होंने दिया। अशफाक के पलामू छोड़ने के बाद डाक लूट की कई घटनाएँ यहाँ घटीं। इस कार्य में बनारस, गया और पलामू क्रांतिकारियों की भूमिका थी। पलामू में 1929-30 के दौरान डाक लूट कांड जो घटनाएँ घटीं वह भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के अखिल भारतीय क्रांतिकारी योजना का ही हिस्सा थी। पलामू को क्रांतिकारियों ने इसलिए चुना, क्योंकि यहाँ उनके पकड़े जाने की संभावना कम थी। प्रशासन डाक लूट की घटना को गैर-राजनीतिक मानती रही। पुलिस को गया शड्यंत्र केस के दौरान 1933 में पलामू डाक लूट कांड का पता चला।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. ओ मैली, एल0 एस0 एस0, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पलामू, सुपरिन्टेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, पटना, 1926, पृष्ठ 1।
2. पाण्डेय, रामदीन, पलामू का इतिहास, बेनी माधव प्रेस, रांची 1977, पृष्ठ 21।
3. ओ'मैली, पूर्वोक्त, पृष्ठ 1।
4. वही, पृष्ठ 40।
5. पाण्डेय, रामदीन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 35।
6. ओ'मैली, पूर्वोक्त, पृष्ठ 2।
7. वर्मा, महावीर, कोयल के किनारे-किनारे, पंकज प्रकाशन, डाल्टनगंज, 1979,पृष्ठ, 126-27। महावीर वर्मा पलामू के स्वतंत्रता सेनानी थे और 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान जेल गये थे।
8. पाण्डेय, शत्रुघ्न कुमार, झारखंड का इतिहास, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2018, पृष्ठ 160-61
9. पाण्डेय, शत्रुघ्न कुमार, स्वतंत्रता सेनानी गणेश प्रसाद वर्मा : क्रांतिपथ से गाँधीपथ तक, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2023, पृष्ठ 20-22।
10. हलधर, हवलधारी राम गुप्त,पलामू का ऐतिहासिक अध्ययन, हलधर प्रेस, डाल्टनगंज, 1972, पृष्ठ 79, शत्रुघ्न कुमार पाण्डेय, वही, 2018, पृष्ठ 26।
11. चंचल, रमेश, गढ़वा का इतिहास, अशु प्रकाशन, डाल्टनगंज, 1996, पृष्ठ 93। शत्रुध्न कुमार पाण्डेय, पूर्वोक्त, 2018, पृष्ठ 160-61।

12. गुप्त, मन्मथनाथ, भारत के क्रांतिकारी, हिन्द पॉकेट बुक्स, हरियाणा, 2019, पृष्ठ 122-23। चतुर्वेदी, बनारसी प्रसाद (संपा0), अमर शहीद अशफाक उल्ला खां, राजकमल प्रकाशन, प्रा0 लि0, नयी दिल्ली, 2018, पृष्ठ, 134-35, 150-51। बक्शी, शचीन्द्र नाथ, क्रांति पथ पर चलते चलते .....अमातारा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2023, पृष्ठ 45-48। सरल, श्रीकृष्ण, 'शचीन्द्रनाथ बक्शी' क्रांतिकारी कोश, चतुर्थ खंड चार, प्रभात प्रकाशन प्रा. लि., नयी दिल्ली, 2001, पृष्ठ 315।

13. कुंड मुहल्ला में सैयद साद काजी का भी निवास था। साद प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सैयद साद से अशफाक उल्ला खां का निकट का संबंध रहा है।

14. हलधार, हवलधारी राम गुप्त, पूर्वोक्त, पृष्ठ 26।

15. सिन्हा, प्रो. कन्हैया प्रसाद, महान् क्रांतिकारी श्याम बर्थवार, नोज़न प्रेस, चेन्नई, 2018, 51-52।

16. वही, पृष्ठ 52।

17. वही, पृष्ठ 52-54।

18. वही, पृष्ठ 54

19. गृह (राजनीति), बिहार और उड़ीसा के मुख्य सचिव को पलामू के उपायुक्त का टेलीग्राम, मेमो नं0 2903, 27 मई 1929, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेज़ालय, पटना।

20. गृह (राजनीति), बिहार और उड़ीसा के मुख्य सचिव को छोटानागपुर के आयुक्त का पत्र, मेमो नं0 2903, 28 मई 1929, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना। पलामू के उपायुक्त द्वारा छोटनागपुर के आयुक्त को लिखे गया पत्र का मूल इस प्रकार है। यह पत्र बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव को भी प्रेषित किया गया था।

21. वही।

22. वही।

23. वही।

24. वही।

25. वही।

26. श्रीवास्तव, डॉ0 नागेन्द्र मोहन प्रसाद और जयश्री दत्त, आजादी की जंग : बिहार के मशहूर क्रांतिकारी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 146। गया शड्यंत्र केस के ट्रायल के दौरान श्याम बर्थवार का बयान के अंश से उद्धत।

27. वही।

28. वर्मा, महावीर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 126।

29. कुमार ललित, पूर्वोक्त, पृष्ठ 22

30. गृह (गोपनीय, विशेष शाखा), पुलिस उपमहानिरीक्षक, पटना का बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव को पत्र, संचिका संख्या 22/11, 1 नवम्बर 1930, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना।

31. जैन, रूपवती और जैन, विमल प्रसाद, क्रांतिकारी जीवन की कुछ झलकियां, कन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली, 2003, पृष्ठ 14। विमल प्रसाद जैन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्यों में से एक थे।

32. उपरोक्त, पृष्ठ 36।

❖❖❖